समाचार–प्रकाशनार्थ :–

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण
42 मरीजो को किया मेडिसिन किट का वितरण

रतलाम 05 मई। कोविड–19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की।

ई–दक्ष केन्द्र रतलाम से 05 मई बुधवार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 57 मेडिसिन किट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलो वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर–घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार 42 मरीजो को मेडिकल किट का वितरण घर पर किया गया। 6 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया, 1 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 3 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 3 मरीजो को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया।

इसी तरह 03 मई की दूसरी सूची अनुसार 316 मरीजो को मेडिकल किट का वितरण घर पर किया गया। 16 मरीज उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया, 30 मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये तथा 22 मरीज नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया व 23 मरीजो को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया।

नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन
नगर के विभिन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से किया सेनेटाईज

रतलाम 05 मई। रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है।

नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है। 05 मई को फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से मेडिकल कालेज, भक्तन की बावड़ी, त्रिवेणी मुक्तिधाम, जवाहर नगर मुक्तिधाम, समता परिसर, सुदामा परिसर, अरिहंत परिसर, टाटा नगर, तेजा नगर, बालाजी नगर, राम नगर, काजीपुरा सहित नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सेनेटाईजेशन किया गया। इसके अलावा 14 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, कलेक्टोरेट, ई–दक्ष कार्यालय, नगर निगम कार्यालय सहित शासकीय कार्यालयो आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया गया।

नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाई स्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय निरंतर जारी

रतलाम 05 मई। शासकीय मेडिकल कॉलेज में उपचारत् कोविड–19 के मरीजों को किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार मालवा व महावीर ऑक्सीजन से सिलेण्डर मेडिकल कॉलेज में पंहूचाने का कार्य प्रतिदिन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस कार्य में सतत् निगरानी भी रखी जा रही है।

नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय के अलावा मेडिकल कॉलेज के सुविधाघरों की सफाई के कार्य पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा सत्त निगरानी रखी जा रही है इसके अलावा प्रतिदिन मेडिकल कॉलेज में सेनेटाईजेशन के कार्य हेतु कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो मेडिकल कॉलेज के अंदर व बाहर सेनेटाईजेशन का कार्य संपादित कर रहे है।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
806 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 05 मई । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 05 मई तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 806 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 05 मई को लक्कड़पीठा रोड से 1 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा

जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 05 मई। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 05 मई । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं

ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/05.05.2021/न.पा.निगम, रतलाम.